

न्यायालय- श्रीमती सपना पोर्ते, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ (म0प्र0)

क्रमांक **464/2023**

टीकमगढ़ दिनांक- 09.11.2023


-: संशोधित विविध आदेश :-

पूर्व जारी विविध आदेश क्रमांक **461/2023** दिनांकित **08.11.2023** में आंशिक संशोधन करते हुये माह **नवंबर 2023** में सार्वजनिक अवकाश होने से निम्नांकित दिनांकों में दर्शाये गये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा न्यायालय टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा एवं ओरछा में आवश्यक कार्य (**रिमाण्ड ड्यूटी**) सार्वजनिक अवकाश में, दोपहर 3 से 5 के मध्य संपादित की जायेगी जिसके संबंध में **नवीन संशोधित विविध आदेश** निम्न है :-

क.	पीठीसीन अधिकारी का नाम	माह नवंबर 2023 की तिथियां
<u>न्यायालय टीकमगढ़</u>		
1	श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी टीकमगढ़	11, 15
2	श्री अमित निगम जेएमएफसी टीकमगढ़	16, 27
3	श्री अरविन्द सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़	05, 12, 13
4	श्री संगम सिंह जेएमएफसी टीकमगढ़	10, 14
5	श्रीमती नूतन रावते, जेएमएफसी, टीकमगढ़	19, 26
6	सुश्री रिशु भगत जेएमएफसी टीकमगढ़	17, 18
<u>न्यायालय निवाड़ी</u>		
1	श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जेएमएफसी निवाड़ी	15, 17, 26, 27
2	श्री मनीष छापेरिया, जेएमएफसी निवाड़ी	05, 12, 13, 14
3	सुश्री के. शिवानी जेएमएफसी निवाड़ी	10, 11, 16, 18, 19
4	श्रीमती पलक राय, जेएमएफसी निवाड़ी
<u>न्यायालय जतारा</u>		
1	श्रीमती संगीता डावर मौर्य, जेएमएफसी जतारा	10, 11, 12, 26
2	श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी, जेएमएफसी जतारा	13, 14, 15, 16, 27
3	सुश्री विजया भारती यादव, जेएमएफसी जतारा	05, 17, 18, 19
<u>न्यायालय ओरछा</u>		
1.	श्री राघवेन्द्र पटेल, जेएमएफसी ओरछा	10, 11, 12, 13, 14, 15
2.	श्री उपमन्यू शुक्ला, जेएमएफसी ओरछा	05, 16, 17, 18, 19, 26, 27

नोट:-

1. किसी मजिस्ट्रेट के शासकीय कार्य में जाने, विशेष आवश्यक आकस्मिक अनुपस्थिति/अवकाश अथवा उक्त अवधि में स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में उनकी रिमांड ड्यूटी, उनके प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्पन्न की जावेगी।
2. उपरोक्त माह में यदि किसी पूर्व निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जाता है तो, परिवर्तित अवकाश तिथि में वही न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे, जिनकी पूर्व निर्धारित अवकाश में रिमाण्ड ड्यूटी निर्धारित की गयी है, जिसके स्थान पर अवकाश का परिवर्तन किया गया है।
3. उपरोक्त माह नवंबर 2023 में किसी भी प्रकार के आकस्मिक अवकाश घोषित किये जाने की दशा में मुख्यालय टीकमगढ़ में श्री अरविन्द सिंह, जेएमएफसी, जतारा में श्री अशिषेक कुमार त्रिपाठी जेएमएफसी, निवाड़ी में श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय/सुश्री के. शिवानी, जेएमएफसी(आपसी सहमति अनुसार) व ओरछा में श्री राघवेन्द्र पटेल, जेएमएफसी रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।
4. अपरिहार्य कारण को छोड़कर रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। परिवर्तन होने की दशा में जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित की जाना है, वह न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्यालय पर उपस्थित अन्य किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उनके द्वारा, रिमाण्ड ड्यूटी की जाने के संबंध में सहमति प्राप्त कर, इस कार्यालय को सूचित करेंगे।
5. सार्वजनिक अवकाश में आवश्यक रूप से कम से कम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुख्यालय टीकमगढ़, निवाड़ी, जतारा एवं ओरछा में उपस्थित रहेंगे।
6. अपरिहार्य स्थिति में सिविल न्यायालय निवाड़ी में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आकस्मिक रूप से अवकाश पर जाने की स्थिति में पदस्थ अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, निवाड़ी आपसी सहमति अनुसार रिमांड ड्यूटी का निष्पादन करेंगे एवं अवकाश पर जाने से पूर्व संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निवाड़ी, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से अनुमति उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टीकमगढ़ को सूचना प्रेषित करेंगे।
7. विशेष परिस्थितियों में निवाड़ी न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर ओरछा में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं ओरछा न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर निवाड़ी में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी का कार्य निष्पादित करेंगे तथा जतारा न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहने पर टीकमगढ़ के न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी का निष्पादन करेंगे।


श्रीमती सपना फोर्ट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
टीकमगढ़ ००१०

पृष्ठांकन- 464(1-14)/2023

टीकमगढ़, दिनांक 09.11.2023


प्रतिलिपि:-

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय टीकमगढ़ ००१०, की ओर संबंधित को सभी न्यायाधीशगण एवं अन्य को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने तथा अपलोड करने के लिए निर्देशित करने बाबत्।
4. श्रीमान् समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़/जतारा/निवाड़ी की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।



5. श्री अमन सिंह भूरिया ए.सी.जे.एम., श्री अमित निगम जेएमएफसी/श्री प्रदीप सोनी जेएमएफसी/श्री अरविन्द्र सिंह जेएमएफसी/ श्रीमती नूतन रावते जेएमएफसी/ श्री संगम सिंह जेएमएफसी/सुश्री रिशु भगत जेएमएफसी/ टीकमगढ़ की ओर पालनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय जे.एम.एफ.सी./सुश्री के. शिवानी जे.एम.एफ.सी./श्री मनीष छापरिया जे.एम.एफ.सी./श्रीमती पलक राय, जेएमएफसी निवाड़ी की ओर पालनार्थ प्रेषित।
7. श्रीमती संगीता डावर मोर्य जे.एम.एफ.सी./सुश्री विजया भारती यादव जे.एम.एफ.सी./श्री अभिषेक कुमार त्रिपाठी जे.एम.एफ.सी., जतारा की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित।
8. श्री राघवेन्द्र पटेल जेएमएफसी/श्री उपमन्यू शुक्ल जेएमएफसी, ओरछा की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित।
9. रीडर पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़/निवाड़ी की ओर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सूचित एवं उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने हेतु।
10. डीपीओ टीकमगढ़ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. एडीपीओ, निवाड़ी/जतारा/ओरछा की ओर सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. अध्यक्ष अभिभाषक संघ, टीकमगढ़/निवाड़ी/जतारा/ओरछा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. स्टेनो, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. निष्पादन लिपिक, सीजेएम न्यायालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

नोट:- उक्त विविध आदेश की प्रति समस्त न्यायाधीशगण एवं अन्य को ई-मेल के माध्यम से संसूचित की जा रही है।


 श्रीमती सपना पोर्ते
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 टीकमगढ़ म०प्र०